NJESR/March2025/Volume-7/Issue-3 E-ISSN-2582-5836
DOI-10.53571/NJESR.2025.7.3.1-10

महिलाओं की शारीरिक तथा सामाजिक दशा में परिवर्तन पर दुष्कर्म के प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. परविन्द्रजीत सिंह
प्राचार्य
संत श्री प्राणनाथ परनामी पी जी कॉलेज पदमपुर

(Received -17 February 2025/Revised-27 February 2025/Accepted-5 March 2025/Published -25 March 2025)

सारांश -

दुष्कर्म एक सार्वभौमिक रूप से घटित होने वाली परिघटना है। दुष्कर्म पीड़िता के प्रति रखी जाने वाली नकारात्मक अभिवृत्ति भी सार्वभौमिक है जो भिन्नदृभिन्न प्रकार के समाजों और संस्कृतियों में भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। परन्तु इसके विपरीत मानवशास्त्रियों ने यह माना कि दुष्कर्म सभी समाजों में घटित होने वाली परिघटना नहीं है। इस संबंध में सेंडी (1981) में हुए अपने अध्ययन के माध्यम से 'दुष्कर्म रहित समाज' की अवधारणा दी और अधिकतर समाजों में यही माना जाता रहा कि दुष्कर्म सभी समाजों में समान रूप से नहीं पाया जाता है, जब तक कि नारीवादियों ने इस संबंध में अपने विचारों को प्रकट नहीं किया था।

प्रस्तुत अध्ययन के दौरान दुष्कर्म एवं दुष्कर्म पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का मापन अनेक अवधारणाओं, आयामों एवं परिप्रेक्ष्यों के माध्यम से किया गया है। इस परिप्रेक्ष्यों के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि पीड़िता के प्रति समाज की अभिवृत्ति को नकारात्मक बनाने में कौन से कारक जिम्मेदार होते ? किस प्रकार की संरचनात्मक मूल्य, संस्कृति अथवा संस्था नकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में योगदान देती है? इन प्रश्नों के उत्तरों की खोज के साथ साथ यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति में कैसे सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।

शब्द कुंजी- दुष्कर्म, दुष्कर्म रहित समाज, संरचनात्मक मूल्य, संस्कृति ।

परिचय -

शारीरिक एवं मानसिक कष्ट के अलावा पीड़िता को सर्वाधिक सामाजिक रूप से मानहानि उठानी पड़ती है। दुष्कर्म व्यक्ति एवं समाज के विरुद्ध यौन हिंसा का एक हथियार है। दुष्कर्म पीड़िता को इस अति कष्टकारी घटना से उबारने के लिए समाज का सहयोग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परन्तु इसके बावजूद समाज की सकारात्मक अभिवृत्ति भी पीड़िता के शारीरिक एवं मानसिक क्षति की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। वृहद् स्तर के साहित्यिक मूल्यांकनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति लगभग सभी समाजों में देखने को मिलती है, यहाँ तक कि इस नकारात्मक अभिवृत्ति में पीड़िता के परिवार के सदस्य, जीवनसाथी, मित्र एवं पड़ोसी भी शामिल होते हैं (कैमोबेल एहरैस, 2001)।

भारत एक विकासशील देश है और विकसित देश की श्रेणी में शामिल होने के लिए अग्रसर है। आज 21 वीं सदी में भारत आधुनिक कहे जाने वाले समाज की लगभग सारी विशेषताएं अपने अन्दर समाहित करता है परन्तु इन सब के बावजूद आज भी तत्कालीन भारतीय समाज में दुष्कर्म एवं दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति की स्वीकृति अत्यधिक देखने को मिलती है। कहीं कहीं यह नकारात्मक अभिवृत्ति एवं मौनता अपने चरम पर दिखाई पड़ती है। कुछ गिने चुने लोगों एवं संस्थाओं द्वारा ही इस पर कार्य एवं चर्चा की जाती है, परन्तु सामान्य जीवन में दुष्कर्म के सम्बन्ध में अधिकतर लोग मूक ही प्रतीत होते हैं। दुष्कर्म को सभी अपराधों में सर्वाधिक अमानवीय अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है। दुष्कर्म के अपराध में सर्वाधिक हानि महिला दुष्कर्म पीड़िता को उठानी पड़ती है। यह हानि न केवल शारीरिक, मानसिक होती है बल्कि यह पीड़िता के मानवाधिकारों का हनन करने वाली, पीड़िता की दैहिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी छीनने वाली होती है। अन्य अपराधों की अपेक्षा दुष्कर्म ही एक मात्र ऐसा अपराध है, जिसमें अपराधी के बजाए दुष्कर्म पीड़िता को दंडित किया जाता है।

प्रस्तावित अन्वेषण महत्त्व

दुष्कर्म मात्र एक व्यक्ति के विरुद्ध किया गया अपराध नहीं है बल्कि यह सम्पूर्ण समाज के विरुद्ध किया गया अपराध है। दुष्कर्म के लिए जिम्मेदार कारकों में सामजिक - सांस्कृतिक कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं एवं इस अपराध का विस्तार वृहद् स्तर पर देखा जा सकता है, साथ ही साथ यह अपराध लगभग सभी कालखंडों एवं समाजों में विद्यमान रहा है । परन्तु इस समस्या पर बात करना अथवा अध्ययन करना अत्यधिक कठिन प्रतीत होता है। इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी है कि दुष्कर्म यौन क्रिया से जुड़ा अपराध है और यह अत्यधिक निजी एवं व्यक्तिगत भी होता है। लगभग सभी समाजों में यौन प्रक्रिया के संबंध में पहले से ही अनेक निषेध, मिथक एवं चुप्पी व्याप्त रहती है, साथ ही महिलाओं की यौनाचरण, यौन शुद्धता, प्रदूषण, शर्म, कलंक, सम्मान एवं शुभ अशुभ जैसे विचारों से घिरी रहती है। यही कारण है कि दुष्कर्म से संबंधित समस्याओं पर आम जन खुल कर चर्चा करने से बचते हैं और यही व्यवहार दुष्कर्म की समस्या को गंभीर रूप से बढ़ा देती है। अतः दुष्कर्म एवं दुष्कर्म पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति से संबंधित समस्याओं एवं मुद्दों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है।

समाज में तो दुष्कर्म के संबंध में अत्यधिक निषेध एवं चुप्पी दिखती है परन्तु यही चुप्पी और कमी साहित्यों में भी देखने को मिलती है। खास कर समाजशास्त्र में इस समस्या पर अत्यधिक कम प्रकाश डाला गया है, जबकि दुष्कर्म प्रतिमानों एवं मूल्यों के टूटने के कारण भी घटित होता है। इसलिए यह देखना जरूरी हो जाता है कि समाजशास्त्र इस संबंध में क्या दृष्टिकोण रखता है एवं दुष्कर्म और दुष्कर्म के लिए उत्तरदायी कारकों को समाजशास्त्री किस परिप्रेक्ष्य से देखते एवं इसकी व्याख्या करते है।

साहित्य का पुनर्रावलोकन

स्कॉलर एवं इदरीश (2006) ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष में कहा कि दुष्कर्म के संबंध में व्याप्त मिथक पीड़िता से सामाजिक दूरी को बढ़ाते हैं और समाज के लोग पीड़िता व अपराधी

दोनों से ही सामाजिक दूरी बनाना चाहते हैं। वहीं दुष्कर्म और दुष्कर्म पीड़िता के प्रति समाज की अभिवृत्ति सामाजिक वातावरण का निर्माण करती है। यह अभिवृत्ति महिलाओं को उनकी परम्परागत स्थिति में बनाए रखने पर जोर देता है, जो महिलाओं को विवश करता है कि वे अपनी परम्परागत भूमिका का पालन यथावत् करती रहें। परम्परागत एवं रूढिवादी विचारधारा के लोग दुष्कर्म पीड़िता को ही दुष्कर्म का दोषी मानते हैं।

जया श्रीवास्तव (2020) ने अपने लेख श्मैपिंग दी ट्रेंड ऑफ रेप इन पंजाब एंड हरियाणाश् में पंजाब एवं हरियाणा में घटित होने वाले दुष्कर्म की घटनाओं का मापन किया। इसके साथ साथ अन्य शहरो में भी दुष्कर्म की घटनाओं के घटित होने की प्रवृत्तियों का मापन किया। मापन करने हेतु दुष्कर्म की दर के आधार पर अति उच्च दर, उच्च दर, मध्यम दर एवं निम्न दर में विभाजित करके प्रवृत्ति का मापन किया, साथ ही साथ पंजाब एवं हरियाणा के कुछ शहरों में भी दुष्कर्म , दुष्कर्म की प्रवृत्ति का मापन किया एवं पाया कि इन शहरों में दुष्कर्म की घटनाओं के घटित होने की एक सामान्य प्रवृत्ति है। जिसमें 2010 से 2020 के मध्य दुष्कर्म की घटनाओं की दर में लगातार वृद्धि हुई है। यह दर 2011 में 1.2 से बढ़ कर 1.6 हो गयी 2015 से 2020 तक यह दर बढ़ कर 1.7 हो गयी एवं कुछ राज्यों में दुष्कर्म की दर में उतार-चढ़ाव रहा परन्तु कुछ राज्यों में दुष्कर्म की दर बढी है

अध्ययन की आवश्यकता -

दुष्कर्म पीड़िताओं द्वारा अपने अनुभव साझा करने की बात तो दूर अनेक पीड़ितायें घटना की रिपोर्ट तक नहीं करती हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण दुष्कर्म पीड़िता के प्रति समाज द्वारा बरती जाने वाली नकारात्मक अभिवृत्ति है। जिसमें दुष्कर्म के लिए अपराधी के बजाय पीड़िता को दुष्कर्म के लिए दोषी ठहराया जाता जाता। लगभग सभी समाजों में दुष्कर्म मिथकों की स्वीकृति के कारण ही पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। इसके कारण दुष्कर्म के सारे नकारात्मक परिणाम पीड़िता को भुगतने पड़ते है। मिथकों के प्रभाव में पीड़िता को ही दुष्कर्म के लिए उकसाने का दोषी माना जाता है, जिस कारण दुष्कर्म

अपराधी की जवाबदेही लगभग समाप्त हो जाती है। समाज की सारी नकारात्मक अभिवृत्ति पीड़िता के प्रति केन्द्रित होने के कारण दुष्कर्म संस्कृति का जन्म होता है, जिसमें बलात्कारियों एवं अपराधियों द्वारा पीड़िता के प्रति किये गए यौन हमलों को न्यायसंगत ठहराने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है।

दुष्कर्म के संबंध में और दुष्कर्म पीड़िता के प्रति समाज की अभिवृत्ति का अध्ययन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि दुष्कर्म के संबंध में अभी तक जो भी अध्ययन हुए हैं उनमें दुष्कर्म एवं दुष्कर्म से संबंधित समस्यों की व्याख्या नारीवादी परिप्रेक्ष्यों से की गयी है परन्तु दुष्कर्म एवं दुष्कर्म से संबंधित कई प्रश्नों के उत्तर एवं समस्याओं का हल समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों एवं दृष्टिकोणों के माध्यम से अध्ययन करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

शोध समस्या

किसी भी शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए परिकल्पनाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। परिकल्पना न केवल शोध का दिशानिर्देशन करती है बल्कि सीमांकन भी करती है। वेब्स्टर (1968) ने प्राक्कल्पना को निष्कर्ष निकालने और तर्क संगत या स्वानुभूत नतीजों का परीक्षण करने के लिए प्रयोगार्थ अनुमान कहकर परिभाषित किया है। विशेषीकृत रूप से प्रस्तुत शोध की प्रमुख परिकल्पनायें इस प्रकार हैं -

1. क्या महिला शिक्षा पर दुष्कर्म की घटनाएँ कुप्रभाव डाल रही है?
2. क्या महिला की वेशभूषा, पहनावें की स्वतन्त्रता रेप की घटनाएँ को भी प्रभावित कर रही है?
3. क्या रेप की घटनाएँ महिला रोजगार को भी पाबन्द कर रही है?

दुष्कर्म को समाज द्वारा किस प्रकार समझा जाता है और समाज किस प्रकार दुष्कर्म को व्याख्यायित करता है, इस प्रशन का उत्तर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से खोजने का प्रयास किया गया है। साथ ही दुष्कर्म मिथक एवं दुष्कर्म पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति किस प्रकार अपनी निरन्तरता को बनाए रखती है, दुष्कर्म एवं बलत्कार पीड़िता के प्रति जो

नकारात्मक अभिवृत्ति समाज में व्याप्त रहती है उसका पुनरुत्पादन किस प्रकार होता है, इसकी गहन पड़ताल करने का प्रयास किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अध्ययन के माध्यम से यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि दुष्कर्म की घटना घटित हो जाने के बाद पूरी नकारात्मक अभिवृत्ति, दोषारोपण, जिम्मेदारी एवं दुष्प्रभाव पीड़िता को ही क्यों उठानी पड़ती है? इन सभी प्रश्नों एवं समस्याओं का हल समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ढूँढने का प्रयास किया गया है। एवं अंत में नकारात्मक अभिवृत्ति और पीड़िता के पुनर्वास के मध्य अंतर्संबंधों को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हुए नीति निर्माण एवं नकारात्मक अभिवृत्ति को सकारात्मक बनाने हेतु कुछ उपयोगी सुझाव देने का प्रयास किया गया है।

उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति का ज्ञान होता है। नगरीय क्षेत्र का होने के कारण उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति अच्छी है। 400 उत्तरदाताओं में अशिक्षित उत्तरदाताओं का मात्र 2.5 प्रतिशत है जबकि स्नातक तक 45 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षित हैं । परास्नातक तक 8.75 प्रतिशत, माध्यमिक / उच्च माध्यमिक तक 30 प्रतिशत एवं उच्च शिक्षित उत्तरदाताओं का 1.25 प्रतिशत है जो कि एक बेहतर शिक्षा स्तर का आभास करवाता है एवं शोध के उद्देश्यों को भी सार्थक करता है। चूंकि शोध के उद्देश्य के अंतर्गत नगर वासियों का पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का मापन करना था और अच्छी शिक्षा का स्तर नगरीय समाज की एक विशेषता है। अतः दुष्कर्म पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति के मापन में नगरीय अभिवृत्ति का ही मापन किया गया है।

तालिका को देख कर ज्ञात होता है कि पी- वेल्यु 0.000 ढ 0.05 है जो कि सार्थक स्तर (0.05) से कम है। अतः यहाँ शुन्य परिकल्पना स्वीकार्य नहीं की जा सकती। परन्तु लिंगवार अभिवृत्ति में दुष्कर्म पीड़िता का पहनावा दुष्कर्म को आमंत्रित करता है के सन्दर्भ में लिंग एवं अभिवृत्ति स्वतन्त्र चर नहीं है क्योंकि 49.50 प्रतिशत लगभाग आधा प्रतिशत पुरुष यह मानते है कि महिलाओं का पहनावा (छोटे कपड़े, तंग ब्लाउज, अधिक अंग प्रदर्शित करने

वाले कपड़े) दुष्कर्म को आमंत्रण देते हैं। इसके विपरीत मात्र 18.50 प्रतिशत महिलाएं ही यह मानती हैं कि महिलाओं का पहनावा दुष्कर्म को आमंत्रण देते हैं। यह एक दुष्कर्म मिथक संबंधी प्रश्न है कि रेप की घटनाएँ महिला की वेशभूषा, पहनावें की स्वतन्त्रता को भी प्रभावित कर रही है, जो कि नकारात्मक अभिवृत्ति की तरफ इंगित करता है।

दुष्कर्म पीड़िता को आत्मग्लानि एवं शर्म महसूस करने के संदर्भ में अभिवृत्ति का मापना किया गया है। प्राप्त परिणामों से ज्ञात होता है की (पी- मूल्य 0.001) है जो सार्थक स्तर (0.05) से कम है। अतः यहाँ शुन्य परिकल्पना स्वीकार्य नही होती है परन्तु लिंगवार परिणाम में लिंग एवं अभिवृत्ति में सहसंबंध स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । 17.5 प्रतिशत पुरुषों का मानना है कि दुष्कर्म पीड़िता को दुष्कर्म हमले के बाद शर्म अथवा आत्मग्लानि महसूस होनी चाहिए। इसके विपरीत मात्र 5 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना कि दुष्कर्म पीड़िता को शर्म अथवा आत्मग्लानि महसूस करना चाहिए। इस सन्दर्भ में पुरुष उत्तरदाता महिलाओं की अपेक्षा पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति नकारात्मक है। इसके लिए समाज में व्याप्त दुष्कर्म मिथकों की स्वीकार्यता एवं संकीर्ण सामाजिक मूल्य उत्तदायी होते हैं ।

निष्कर्ष

सामाजिक शोध का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक घटनाओं एवं तथ्यों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना है, परन्तु यह प्रश्न बहुत लम्बे समय से विवाद का विषय रहा है क्या सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है ? वास्तव में सामाजिक घटनाओं से हमारा तात्पर्य, व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले उन सभी व्यवहारों क्रियाओं तथा चिन्तन पद्धतियों से होता है, जो वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन की विशेषतायें हैं और जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है इसके अतिरिक्त व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित एवं संचालित करने वाले सामाजिक नियमों, प्रेरणाओं तथा परिस्थितियों को भी हम सामाजिक घटनाओं के अन्तर्गत सम्मिलित करते हैं। सामाजिक घटनाओं की इस विविधताओं को देखते हुए अक्सर यह आशंका की जाती है कि सामाजिक

घटनायें एवं प्राकृतिक घटनायें एक-दूसरे के पूर्णतया समान नहीं हैं परन्तु यह भिन्नता सापेक्षिक हैं इसका यह अर्थ नहीं है कि सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया ही नहीं जा सकता है।

सामाजिक घटनाओं का तात्पर्य मुख्यतया मानवीय सम्बन्धों व्यवहारों तथा क्रियाओं से है। यह सभी सम्बन्ध तथा व्यवहार स्वयं में इतने जटिल होते हैं कि उन्हें समझ सकना बहुत कठिन है। इसका कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति की रुचियाँ, स्वभाव, योग्यता, सामाजिक प्रस्थिति, भूमिका तथा कार्य करने का ढंग अन्य व्यक्तियों से बहुत भिन्न होता है। इसका परिणाम यह होता है कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों के व्यवहारों में पूर्ण समानता नहीं पायी जाती है।

समाज की प्रकृति सिर्फ जटिल ही नहीं है अपितु इसमें सार्वभौमिकता का गुण भी नहीं है। संस्कृति, व्यवहार, रीति-रिवाज और रहन-सहन के तरीके एक स्थान से दूसरे स्थान में भिन्न हैं। बोली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह दस मील पर परिवर्तित हो जाती है । यही बात समाज पर भी लागू होती है । इन भिन्नताओं के कारण मानव में सार्वभौमिकता के गुण का अभाव पाया जाता है। सार्वभौमिकता के गुण के अभाव में समाजशास्त्र के नियम या सिद्धान्त सार्वभौमिक नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र में सार्वभौमिकता के गुण के अभाव में वैज्ञानिक तटस्थता नहीं पाई जाती है।

पीड़िता को प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों के सहानुभूति एवं सहयोग की आवश्यकता होती है, अतः दुष्कर्म हो जाने की स्थिति में परिवार को चाहिए कि पीड़िता को दुष्कर्म के लिए दोष देने के बजाय पीड़िता के प्रति अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार को अपनायें।

परिवार द्वारा पीड़िता से घटना के संबंध में सहनुभूति पूर्वक बात करके, एफ० आई० आर० कराने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि परिवार द्वारा एफ० आई० आर० नहीं कराया

जाता है तो पीड़िता चिकित्सीय, मनोचिकित्सीय सुविधा के साथ साथ न्यायिक सुविधा एवं न्याय से भी वंचित हो जाती है और अपराधियों को अपराध करने की प्रेरणा भी मिलती है।

दुष्कर्म हमले के बाद पीड़िता को अत्यधिक मानसिक एवं शारीरिक आघात पहुंचता है, जिसके कारण पीड़िता का व्यवहार असामान्य एवं अनियन्त्रित हो जाता है। परिवार के सदस्यों को इस स्थिति में अत्यधिक संयम एवं नियंत्रित व्यवहार करना चाहिए। और पीड़िता को चिकित्सीय जांच के लिए ले जाना चाहिए, साथ ही साथ मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए । इस व्यवहार से पीड़िता को परिवार की तरफ से सकारात्मक अभिवृत्ति की अनुभूति होगी और पीड़िता सुरक्षित महसूस करेगी एवं पीड़िता में अपराध बोध की भावना नहीं पनपेगी।

पीड़िता के प्रति आस पडोस, नातेदारों का भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि पीड़िता के प्रति हुए अपराध से पीड़िता को उबारने में सहयोग प्रदान करें । इसके लिए आस पड़ोस के लोगों को पीड़िता से बातचीत करना बंद नहीं करना चाहिए और न ही अपने बच्चों को पीड़िता के साथ खेलने अथवा मिलने से रोकना चाहिए ।

संदर्भ सूची -

1. आहूजा, राम (2015), सामाजिक अनुसंधान, रावत पब्लिकेशन्स, नयी दिल्ली । आईएसबीएन 978-8170338994
2. जोशी, धनेश कुमार एवं उमेश कुमार पाठक (2013), महिला हिंसा और मीडिया रू एक आलोचनात्मक अध्ययन, श्मालतीश् अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी ई - शोध पत्रिका, वर्ष-2, अंक-1, जनवरी- जून, पृ0 39-42 ।
3. जैन, अरविन्द (2015), बचपन से बलात्कार यौन हिंसारू मानसिकता औरडकानून,राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नयी दिल्ली,जनसुलभ संस्करण।
4. जैन, कमलेश (2008), बलात्कार होने पर पीड़िता के लिए कानून एवं मार्गदर्शन,राधाकृष्ण प्रकाशन प्राईवेट लिमटेड, नयी दिल्ली ।

5. Abbey, A., Jacques-Tiura, A. J., & LeBreton, J. M. (2011). Risk factorsfor sexual aggression in young men: An expansion of the confluencemodel. Aggressive Behavior, 37, 450-464.

6. Ahuja, R. and Mukesh, A. (1998). Vivechnaatmk apradhshastr.New Delhi: Rawat Publications.